

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सभना पर अकादमिक सुनानलित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम में निम्न चरण द
कि लिखी जाए व्याप्रिकरी के बारे में।
सुनानलित विषय पर यह दूर्घटना में पास
अद्वितीय हुआ हो गए पास क्रमानुसार इस निम्नलिखित
प्रतिक्रिया द्वारा उचित घोषित करके दिया गया है।



दिन: १५/१२/२०१८
दृष्टान्त: (०७५१) २३६१८९६
(०७५१) २४४२८२९
फैक्टर: (०७५१) २३६१८६०

प्रधान :
गुलामरेणु
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/एफ/दारबहारा/२०१८/५७२।

विनाक: ०५/१२/१८

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर (०७५१-२२३३०१८) को सन् २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित संचालित बी.बी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों विषयों को अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशासित प्रबन्ध कर्त्तव्य के लिये भावनावाले कुलपाते नामदाद द्वारा लिखित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियों १९७३ के परिवेशक २७(१०) के अन्तर्गत विभागानुसार विवेकानन्द अधिकारी का गठन किया है :

- (१) प्र. योगेश उपाध्याय, आवाय, वार्गेज एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जी.वी.इ. व्यालियर। (संचालक) (०७५१-२४४२८४।)
- (२) डॉ. रमेश गुराता, उपाध्याय, कम्ब्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वी.इ., ग्वालियर।
- (३) प्रो. हेमलता शर्मा, आवाय, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वी.इ., ग्वालियर।

विवेकानन्द अधिकारी के दावतों से अनुरोध है कि वे परिवेशक २७/१० के प्रावधानों के अनुलेप गताविद्यालय का प्रत्यक्ष विवेकानन्द कर शुरू, प्रतोक्त तरिके से यादा अद्वितीयता प्रमाण-प्रबन्ध, अताज, प्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम-आईडिएल तथा

प्रिष्ठों सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नाम प्रमाण पत्र के तत्व प्राप्तार्थीशीलप्रिष्ठ एवं अशीलप्रिष्ठ स्ट्रेंग तीव्र विद्युतितानों का प्रमाण एवं दावत अद्वितीय के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशासन अधिकारी करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक २६ लितनवार २०१२ के पद क्रमांक ६० (अ-अ-२) पर लिये गये विष्णवानुसार विवेकानन्द अधिकारी द्वारा ३० दिन में गताविद्यालय का विवेकानन्द कर १५ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में विवेकानन्द प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि संरूपी कार्यवाही (गताविद्यालय निरीक्षण की) ४५ दिवस में पूर्ण हो सकें एवं अधिकारी का विश्वविद्यालय द्वारा दी जाए जानी अस्थायी सम्बद्धता में विलक्ष जहाँ होता हुवा समय सम्बद्धता संवर्ती कार्यालयी पूर्ण हो सकें तत्व शालन के विरेसों का गलत सुविशिष्टता दिया जा सकें।

गवर्नर के ४५ दिवस में Report प्राप्त ज द्वारा जी दियती गै जह गता जाएगा कि गताविद्यालय का विवेकानन्द जही द्वारा है। विभागानुसार अधीक्षक जमा कराकर वरीन समिति गतित की जायेगी। जिसे १५ दिवस में विवेकानन्द रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिवेशक २७(११)(७) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिए छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विवेकानन्द समिति को सायं सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय गताविद्यालयी लोकों जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविषयते में विवेकानन्द समिति को अवगत करायेंगे। विवेकानन्द समिति के छात्रों को लैटे, बी.ए. / आनंदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 mm's
कुलसंविवेक

प्रतिलिपि :-

१. समस्त सदस्यों की ओट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय को ओट सेजकर आद्वान है कि समिति के सबोजक से संपर्क स्थापित कर विवेकानन्द विभागित कर महाविद्यालय जा विवेकानन्द करायें। उत्ता विवेकानन्द १५ दिवस के अन्दर कराये वारे व्यवस्था करें।
३. आनुसार उन शिक्षा, सरपुड़ा भवन, भोपाल
४. कुलपाते के संविवेक / कुलसंविवेक के निकी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

[Signature]
सहायक कुलसंविवेक (संचालक)